निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 819) पटना, वृहस्पतिवार, 29 दिसम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2011

सं० 22/नि0सि0(गया)–17 (ए0)–05–/2008/1464—श्री जय किशोर सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, जहानाबाद, आई0 डी0 सं0 2143 के उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि में जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदुमपुर प्रखंड के दानुबिगहा से कचनावा सबदलपुर तक दरधा नदी के बॉये जमींदारी बॉध के निर्माण कार्य में कतिपय अनियमितता की जॉच निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा की गई। औचक जॉच में जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदुमपुर प्रखंड के दानुबिगहा कचनावा सबदलपुर नदी के जमींदारी बॉध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यो में बरती गयी अनियमितता के लिए प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 224, दिनांक 1 अप्रील 2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 के अंतर्गत निलंबित करते हुए उक्त नियमावली के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गई।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–784, दिनांक 4 जुलाई 2011 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह से उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रसंग में प्राप्त स्पष्टीकरण की सरकार के स्तर पर सम्यक् समीक्षोपरांत निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गये :–

(1) दानु बिगहा के कचनावॉ सबदलुपर तक दरधा नदी के बॉया एवं दायॉ जमींदारी बॉध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के अनुमोदित प्राक्कलन में फारमेशन लेवेल आर0 एल0–272 फीट एवं एफ0 एस0 एल0–269 फीट के विरूद्व स्वीकृत प्राक्कलन में फारमेशन लेवेल आर0 एल0–249 फीट ही रखा गया है, लिहाजा बॉध की उॅचाई में 23 फीट की कमी की गई है, जिसका कोई तकनीकी औचित्य नहीं दर्शाया गया है।

(2) उपरोक्त जमींदारी बॉध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में निर्धारितानुसार मापी जॉच नहीं किया गया है।

(3) उपरोक्त जमींदारी बॉध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में दरधा नदी के दॉये बॉध के निर्माण का कार्य प्रशासनिक स्वीकृती के बिना कराया गया है।

(4) उपरोक्त जमींदारी बॉध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में गणित/आकलित एवं मापपुस्त में प्रविष्ट अधिक कार्य मात्रा के विरूद्व अधिक भुगतान (भुगतान की गई राशि–15,75,390/–) किया गया है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए जिम्मेदार मानते हुए इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :–

1. निन्दन वर्ष 2008–09
2. कालमान वेतन के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति जिसमें वे अगले पॉच वर्षो तक कोई वेतन वृद्वि अर्जित नहीं करेंगे तथा पॉच वर्षो के बाद वेतन वृद्वि देय होगा।
3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

अतएव श्री जय किशोर सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को निलंबन से मुक्त किया जाता है एवं उन्हें मुख्यालय में योगदान देने का निदेश दिया जाता है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 819-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in